न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 91/2022(GCMS : 2022/137)

1. **बलजिन्द्र सिंह** पुत्र निर्मल सिंह जाति कम्बोज सिख निवपासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर — — — **वादीगण प्रार्थीयान**

बनाम

1. **रोशनी देवी** पत्नी हनुमान बिश्नोई निवासी 25 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. **विश्वास बिश्नोई** } पिसरान हनुमान बिश्नोई जातियान बिश्नोई निवासी
3. **अरूण बिश्नोई** } 25 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
4. **उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर** जिला श्रीगंगानगर

— — — **अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.07.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री रामनिवास बिश्नोई उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 06/2022 अनवानी रोशनी देवी बनाम विश्वास बिश्नोई वगै. अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि यदि इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2022 अनवानी रोशनी देवी बनाम विश्वास बिश्नोई वगै. अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:16 IST
Reason: SelfAttested